कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या–प्रशि.प्रको./ लखनऊः दिनांक 25/07/ 2016

विस्तार

–:: आदेश ::–

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रादेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 157/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या 1961/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 18.06.2014 एवं संख्या–965/सेक–2–पॉच–16–7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016 में अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित परामर्शी विशेषज्ञों को एक वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने अथवा नियमित चिकित्सा अधिकारी की तैनाती होने तक, जो भी पहले हो, के लिए सेवा विस्तार किया जाता है। एक वर्ष की अवधि की गणना, सेवा में निरन्तरता बनाये रखने वाले परामर्शियों के लिए पूर्व सेवा नियोजन/विस्तार के अंतिम दिन अथवा योगदान की तिथि से की जायेगी, को एतद्द्वारा तत्कालिक प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।**

(1) पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

2– सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिंकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

3– सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

4– यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

5– पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को जारी आदेश की तिथि से एक माह के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान कर लें, यदि एक माह में सेवा में योगदान नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त तिथि	विशेषज्ञता	चिकित्सालय/ जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	8
1.	डा0 हृदय शंकर पाण्डेय–5662	श्री भागवत पाण्डेय	01.07.1954	30.06.2014	डी0ए0	एस0एस0पी0जी0 मण्डलीय जिला चिकित्सालय, वाराणसी
2.	डा0 लक्ष्मीकान्त तिवारी–4188	स्व0 शारदा शंकर	01.08.1953	31.07.2013	आर्थो पैडिक्स सर्जरी	यू0एच0एम0 जिला चिकित्सालय, कानपुर नगर
3.	डा0 साकेत कुमार पोरवाल–3178	श्री चतुर्भुज पोरवाल	10.01.1952	31.01.2012	डी0 कार्ड	यू0एच0एम0 कानपुर
4.	डा0 सतीश चन्द्र सिंह–5200	स्व0 प्रभु नारायण सिंह	13.05.1954	31.05.2014	रेडियोलाजिस्ट	एस0एस0पी0जी0 जिला चिकित्सालय, वाराणसी
5.	डा0 विनोद कुमार पाण्डेय – 5813	श्री राम संभार पाण्डे	01.01.1954	31.12.2013	डी0सी0पी0	जिला चिकित्सालय आजमगढ़
6.	डा0 अरूण कुमार–3791	स्व0 कमला पति राम श्रीवास्तव	01.07.1953	30.06.2013	डी0सी0पी0	जिला चिकित्सालय फैजाबाद
7.	डा0 राकेश कुमार गुप्ता–3467	स्व0 प्रेम चन्द गुप्ता	20.08.1952	31.08.2012	डी0एम0आर0आई 0 (रेडियोलाजी)	जिला चिकित्सालय आगरा
8.	डा0 श्रवण कुमार शर्मा–6190	श्री आर0 पी0 शर्मा	16.01.1953	31.01.2013	एम0डी0	मेमोरियल जिला चिकित्सालय बलरामपुर
9.	डा0 अमरेन्द्र कुमार दूबे–5983	स्व0 ब्रजकिशोर दूबे	22.01.1954	31.01.2014	एम0एस0 (आर्थो)	एस0एस0पी0जी0 जिला चिकित्सालय, वाराणसी
10.	डा0 जैनुद्दीन अहमद किदवई–5218	स्व0 मोती हनीफ	08.10.1951	31.08.2012	डी0ओ0एम0एस0	जिला चिकित्सालय गोण्डा
11.	डा0 सत्य प्रकाश सिंह–4481	स्व0 शिव सेवक सिंह	05.07.1953	31.07.2013	डी0सी0एच0	जिला चिकित्सालय, बलिया

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक

संख्या–प्रशि.प्रको./4966-75 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3– मिशन निदेशक, एन0आर0एम0एम0, लखनऊ।
4– संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5– महानिदेशक, परिवार कल्याण, जगत नरायन रोड, लखनऊ।
6– सम्बंधित प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला (पुरूष/महिला) चिकित्सालय, उ0प्र0।
7– सम्बंधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8– चिकित्सा अनुभाग–2/3, उत्तर प्रदेश शासन।
9– संबंधित चिकित्सक/अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के भीतर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर कार्यभार अवश्य ग्रहण कर ले तथा इसकी सूचना उचित माध्यम से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि उक्त अवधि में उनके द्वारा पुनर्योजित पद पर कार्यभार ग्रहण नही किया जायेगा तो, यह समझा जायेगा कि संबंधित चिकित्सा अधिकारी पुनर्योजन पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु इच्छुक नही है और ऐसी स्थिति में उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
10–गार्ड फाइल।

05/7/16

अपर निदेशक (प्रशिक्षण)